झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 19 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

DISPOSED 22/08/2022

अपीलकर्त्ता श्री बमदेव पहाड़िया एवं अन्य, ग्रा० - सजनीपाड़ा, प्रधानटोला, प्र० - आमड़ापाड़ा, पाकुड़।

बनाम

प्रतिवादी (1) जिला आपूर्ति पदा०, पाकुड
(2) प्रखण्ड आपूर्ति पदा०, आमड़ापाड़ा, पाकुड।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
11-02-2022	आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये व्हाटसएट्प नं0–9142622194 पर शिकायतकर्ता **श्री बमदेव पहाड़िया (मो0नं0–8986736932) एवं अन्य , ग्रा0–सजनीपाड़ा प्रधानटोला, प्र0–अमड़ापाड़ा, पाकुड़** का शिकायत–पत्र आयोग को मो0नं0–7764003999 से प्राप्त हुआ, जिसमे उन्होंने माह दिसम्बर 2021 से डाकिया योजना के तहत् अनाज नहीं मिलने एवं अनाज नियमित रूप से नहीं दिये जाने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत की है। उक्त मामले में आयोग के पत्रांक–WA / 005 / 2021 दिनांक–17.01.2022 द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ से कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया था। जिसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में अप्राप्त रहा। आयोग द्वारा इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–02.03.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, आमड़ापाड़ा, पाकुड़ को नोटिस निर्गत किया जाय। सुनवाई के दौरान ऑनलाईन वॉट्स्ऐप वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित रहने हेतु शिकायतकर्ता को सूचित किया जाय। प्रतिलिपि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पाकुड़ को सूचनार्थ प्रेषित किया जाय। 11-02-2022	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश .docx22

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–02.03.2022 को वाद सं0–19/2022 के मामले में सुनवाई की गई। प्रथम पक्ष से शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हो पाये। जिस मोबाईल नं0 से (7764003999) व्हाटसएट्प के माध्यम से शिकायत आयोग को प्राप्त हुआ था उस नं0 पर संपर्क करने पर बताया गया कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराने में मदद की थी एवं आयोग को दिए गए व्हाटसएट्प नं0 पर भेजी थी। आवेदको के गाँव में या उसके आस–पास मोबाईल नेटवर्क नहीं रहता है। व्हाटसएट्प कॉल पर आने के लिए उनको पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है और वे आज सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो पाए। द्वितीय पक्ष से अंचल निरिक्षक–सह–प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी श्री आभास चन्द्र साहा, अमाड़ापाड़ा उपस्थित रहे। द्वितीय पक्ष अंचल निरिक्षक–सह–प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी श्री आभास चन्द्र, आपड़पाड़ा द्वारा निम्न बातें कही गई :– 1. माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2021 का अनाज अंचल निरीक्षक–सह–प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी श्री आभास चन्द्र, आपड़पाड़ा द्वारा स्वयं उपस्थित होकर वितरण कराया गया है। 2. माह मार्च में प्राप्त चावल का आवंटन लाभुको को सितम्बर से दिसम्बर तक बकाये के बदले में वितरण किया गया। 3. पिछले दो महीने माह जनवरी और फरवरी का अनाज अभी तक लाभुकों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि अनाज उपलब्ध नहीं होने के कारण शिकायतकर्ताओं को राशन वितरण नहीं कराया गया है। 4. अंचल निरीक्षक–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि जनवरी और फरवरी माह का अनाज उपलब्ध होने पर अनाज का वितरण लाभुकों के बीच करा दिया जाएगा। प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दिए गए बयान की पुष्टि श्री कार्तिक कुमार द्वारा की गई है। चूँकि जनवरी और फरवरी का भी अनाज अबतक लाभुकों को नहीं मिला है अतः उपस्थित प्रभारी	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि तत्काल लाभुकों को जनवरी और फरवरी माह का अनाज उपलब्ध कराए एवं आगे से नियमित अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनवरी और फरवरी में लाभुकों को अनाज उपलब्ध कराते हुए दिनांक–15.03.2022 तक कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराए। कृत कार्रवाई प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–22.03.2022 को निर्धारित की जाती है। 2/3/2022 **(डॉ0 रंजना कुमारी)** सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हलधर महतो)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–22.03.2022 को वाद सं0–19/2022 के मामले में सुनवाई की गई। प्रतिवादी की ओर से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, अमड़ापाड़ा श्री आभाष चन्द्र साहा उपस्थित रहे। उनके द्वारा प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख है कि दिनांक–02.03.2022 को पारित आदेश के आलोक में लाभुकों को माह जनवरी, 2022 एवं माह फरवरी, 2022 का राशन उपलब्ध करा दिया गया है। दूरभाष के माध्यम से अपीलकर्ता श्री बमदेव पहाड़िया से सम्पर्क करने की कोशिश की गई, किन्तु उनसे सम्पर्क नहीं हो पाया। अन्य शिकायतकर्ताओं श्री बबलू पहाड़िया, श्री धर्मा पहाड़िया, श्री राजू पहाड़िया एवं श्री कृष्णा पहाड़िया से दूरभाष पर सम्पर्क किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें माह जनवरी, 2022 एवं माह फरवरी, 2022 का राशन प्राप्त हो गया है। स्पष्ट है कि लाभुकों को बकाया अनाज प्राप्त हो गया है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ एवं अपीलकर्ता को प्रेषित कर दी जाय। 22/03/2022 (शबनम परवीन) सदस्य राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हलधर महतो) सदस्य राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx9	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आज दिनांक–22.03.2022 को वाद सं0–19/2022 के मामले में सुनवाई की गई।

प्रतिवादी की ओर से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, अमड़ापाड़ा श्री आभाष चन्द्र साहा उपस्थित रहे। उनके द्वारा प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख है कि दिनांक–02.03.2022 को पारित आदेश के आलोक में लाभुकों को माह जनवरी, 2022 एवं माह फरवरी, 2022 का राशन उपलब्ध करा दिया गया है।

दूरभाष के माध्यम से अपीलकर्ता श्री बमदेव पहाड़िया से सम्पर्क करने की कोशिश की गई, किन्तु उनसे सम्पर्क नहीं हो पाया। अन्य शिकायतकर्ताओं श्री बबलू पहाड़िया, श्री धर्मा पहाड़िया, श्री राजू पहाड़िया एवं श्री कृष्णा पहाड़िया से दूरभाष पर सम्पर्क किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें माह जनवरी, 2022 एवं माह फरवरी, 2022 का राशन प्राप्त हो गया है। स्पष्ट है कि लाभुकों को बकाया अनाज प्राप्त हो गया है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ एवं अपीलकर्ता को प्रेषित कर दी जाय।

24/03/2022

(शबनम परवीन)
सदस्य
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हलधर महतो)
सदस्य
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक–रा0खा0आ0 (वाद) 19/2022–297 राँची, दिनांक–23.03.22

प्रतिलिपिः–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़/अपीलकर्ता श्री बमदेव पहाड़िया व अन्य (मो0 सं0–8986736932), ग्राम–सजनीपाड़ा प्रधानटोला, प्रखण्ड–अमड़ापाड़ा, जिला–पाकुड़ को सूचनार्थ प्रेषित।

23/03/22

(सिकन्दर राय)
प्रशाखा पदाधिकारी,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx9